


64

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

पत्रांक

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
विहार प्रान्त।



सभी जिला पदाधिकारी  
विहार।

पटना दिनांक 31/7/2017

विषय- सख्य के सभी काराओं में गैर शासकीय परिदर्शकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा के संबंध में।  
प्रसंग- विभागीय पत्रांक-2623 दिनांक-24.05.2017।

मन्त्रालय

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मांगा गया जतिवेदन अबतक अप्राप्त है। विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा W.P.(C) No-406/2013 "Inhuman Conditions in 1382 Prisons" में दिनांक-17.02.2017 को पारित आदेश के आलोक में तथा बिहार कारा इस्तफा-2012 के विहित प्रावधानों के अनुरूप राज्य की काराओं का परिममाण करना हेतु गैर सरकारी परिदर्शकों के रूप में नामों की अनुशंसा प्राप्त करने तथा समुक्त परिदर्शकों के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि बिहार कारा इस्तफा-2012 के नियम संख्या 721 (अध्यापति संलग्न) के प्रावधानानुसार राज्य सरकार राज्य के सभी काराओं के गैर शासकीय परिदर्शकों को नियुक्त करेगी। ये नियुक्तियाँ सामान्यतः जिले में स्थित कारा के जिला मजिस्ट्रेट की अनुशंसा पर की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट अपने स्वयंसेवकों से गैर शासकीय परिदर्शकों के रूप में नियुक्ति हेतु संभावित व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा/ करेगी तथा उनकी सहमति की मांग सहित इस आदेश के पत्र उन्हें दया देगी। अपनी सहमति पत्रों को उम्मीदवारों का पैनल गृह विभाग के विचारार्थ, राज्य सरकार के आदेश निर्णय तथा बिहार गजट में अतिरिक्त करने हेतु अग्रसारित किया जाएगा। केवल प्राथमिक सामाजिक कार्यकर्ता (गैर राजनीतिक व्यक्तित्व) शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सीय सेवा के पेशेवरों की ही नियुक्ति गैर शासकीय परिदर्शकों के रूप में की जाएगी, जिसके तहत-

- (i) कन्द्रीय कारा के लिए कम-से-कम छ गैर शासकीय परिदर्शक होंगे।
- (ii) मॉडल कारा के लिए कम-से-कम तीन गैर शासकीय परिदर्शक होंगे।
- (iii) उपकारा के लिए कम-से-कम दो गैर शासकीय परिदर्शक होंगे।

नोट- वेश कारा जहाँ महिला बंदियों के लिए महिला कक्ष खण्ड होगा, वहाँ एक महिला गैर शासकीय परिदर्शक होगी।

3. सख्य के क्रम में पुनः उल्लेखनीय है कि राज्य की काराओं में गैर शासकीय परिदर्शकों को नियुक्त हेतु उनका सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से पत्र प्राप्त हो सके।

4. अब उच्च के आलाक में अनुरोध है कि अपने जिला क्षेत्राधिकार में स्थित काराओं के लिये गैर शासकीय परिदर्शकों की नियुक्ति हेतु साम्य जागरूकता के माध्यम से अनुशंसा पत्रों का उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
विहार, पटना।

19/7/17

733  
19/7/17